न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 209/07/टीआई

झाबर मल पुत्रश्री कानाराम जाति जाट आयु 38 साल निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रार्थी

ब ना म

1. सोनाराम |
2. रामचन्द्र | पुत्रगण कानाराम जाति जाट निवासीगण पचार
3. जैसाराम | तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. अर्जुनसिंह |
5. नोपा |
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा खाटूश्यामजी जिला सीकर
8. मूलसिंह पुत्र जोरावरसिंह
9. दुर्गाकंवर बेवा गजराजसिंह
10. हेमेन्द्रसिंह | पुत्रगण गजराजसिंह
11. हरजेन्द्रसिंह |
12. भीमसिंह |

समस्त जाति राजपूत निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

13. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम पचार की तन में भूमि खसरा नं. 64 ता 68, 198/2936, 198/2937 किता 7 कुल रकबा 36.67 है0 अवस्थित है जिसमें आवेदक व अनावेदक सं. 1 ता 5 का हिस्सा 1/3 है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/18 है तथा अनावेदक सं. 8 का हिस्सा 1/3 है व अनावेदकगण सं. 9 से 12 का हिस्सा 1/3 है। आवेदक व अनावेदकगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा वर्ष 1985 में कर अपने अपने हिस्से पर सींव नींव कायम कर अलग अलग कर काश्त कर रहे है। आवेदक व अनावेदक सं. 1 ता 5 ने अपने हिस्से की भूमि में काफी धन खर्च कर समतल किया है। अनावेदक सं. 8 से 12 की हिस्से की भूमि आज भी उबड़ खाबड़ पड़ी

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

है। अनावेदक सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से तक अनावेदक सं. 6 व 7 से ऋण ले रखा है जिसकी समय पर अदायगी नहीं होने से कभी भी ऋण व अन्य बकाया से उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में ऋण व अन्य देनदारियों में कुर्की/निलामी हो सकती है जिसमें आवेदक को नुकसान होने की पूर्ण संभावना है इसलिए आवेदक अपने हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराने हेतु अनावेदक सं. 1 से 5 व 8 से 12 को कहा तो उन्होंने दिनांक 01.11.07 को साफ मना कर दिया। अनावेदकगण काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। अपनी भूमियों को विक्रय व ऋण तथा अन्य देनदारियों में निलामी कराने की धमकी दी जिससे आवेदक अपने हिस्से 1/18 की भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा, रिकार्ड संशोधन मुताबिक बंटवारा कराने तथा अनावेदक सं. 1 ता 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने का अधिकारी है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी का सुदृढ है सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है इसलिए अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही है। यदि अनावेदकगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदक को असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे दौराने दावा आवेदक की कब्जा काश्त में दखलंदाजी न स्वयं करें तथा न अन्य से करावे तथा किसी ऋण देनदारियों की आड़ में संयुक्त खातेदारी जमीन को रहन, विक्रय निलाम नहीं की जावे तथा न करें व अन्य से करावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 13 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का का 1/3 हि0 है तथा प्रार्थी का 1/18 हि. दर्ज है शेष हिस्सा अप्रार्थी सं. 8 ता 12 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

4. हमने प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अनुसार ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 65 ता 68, 198/2936, 198/2937, 64 किता 7 कुल रकबा 36.67 है0 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थी का 1/18 हि. है। विवादित आराजियात का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 65 ता 68, 198/2936, 198/2937, 64 किता 7 कुल रकबा 36.67 है0 वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति तादौराने दावा बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ